A5/1

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 89/2017
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर 2017/00110

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
कोजाराम पुत्र प्रतापराम जाति जाट निवासी लालाप तहसील मूण्डवा जिला नागौर राज.		1. सदीक मोहम्मद पुत्र गनीखां 2. चांद मोहम्मद पुत्र गनीखां 3. जमाल मोहम्मद पुत्र गनीखां जातियान छींपा मुसलमान निवासीगण मून्दियाड़ तहसील मूण्डवा जिला नागौर 4. तहसीलदार मूण्डवा।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री बाबूलाल भादू
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल सुथार।

निर्णय **दिनांक :** 07-01-2021

1–प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–2 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

2–वकुलाय द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 705/545 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा गैर मुमकिन मगरा वाके मौजा लालाप जो मूल साबिका खसरा नम्बर 545 रकबा 36 बीघा 8 बिस्वा एवं मूल साबिका खसरा नम्बर 544 रकबा 25 बीघा 04 बिस्वा वाके मौजा लालाप स्थित थे जो पूर्व में खेराजराम, पेमाराम, रुघाराम, भीखाराम इत्यादि के खातेदारी के खेताय थे व रहे तथा सेटलमेंट अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा इनकी खातेदारीसुदा भूमि को कम करते हुए इनके द्वारा नये खसरा नम्बर दौराने सेटलमेंट 705/545 रकबा 10.16 बीघा गैर मुमकिन मगरा दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 544 में से 3 बीघा भूमि कम कर दी गई तथा खसरा नम्बर 545 में से 7.16 बीघा भूमि कुल 10.16 बीघा भूमि कम करते हुए उक्त नया खसरा अंकित कर दिया व राजकीय खाते में दर्ज करते हुए गैर मुमकिन मगरा घोषित किया। तत्पश्चात् उक्त खसरा नम्बर 705/545 रकबा 10.16 बीघा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता गनीखां पुत्र करीमखां छींपा मुसलमान निवासी लालाप के पक्ष में एस.डी.ओ. के आदेश क्रमांक 74/16 दिनांक 21.6.1974 को नियमन करते हुए नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। उक्त भूमि संवत् 2006 से लेकर आज दिन तक खेराजराम, पेमाराम, रुघाराम, भीखाराम की खातेदारी की भूमि रही है तथा शुरु से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त भी इन्हीं का ही रहा है जो नकल खतौनीयो से स्पष्टतया सावित है जिसमें आज दिन उपरोक्त खातेदारान के वारिसान भांगीलाल पुत्र रुघाराम का कब्जा काश्त रहता चला आया है व आज दिन यही काबिज है।

2(1)–उपरोक्त आवंटन के पूर्व अप्रार्थी संख्या 4 ने ग्राम लालाप के एनएक्सयूपाईड सरकारी भूमि की कोई सूची तैयार नहीं की न ही ऐसी सूची में से कृषि भूमि के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ आवश्यक भूमि का अलग से रिजर्वेशन हेतु कोई सूची तैयार नहीं कि, इस प्रकार से आवंटन से पूर्व आवंटन नियम 5 व 6 की पालना [illegible]।

2(2)–आवंटन के पूर्व आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त करने [illegible] उपखण्ड अधिकारी नागौर ने नियम 7 के अनुसार कोई उद्घोषणा [illegible] वजह से ग्राम लालाप के भूमिहीन काश्तकारो को आवंटन हेतु आवेदन [illegible] हुआ, इस [illegible] से भी उपरोक्त आवंटन अवैध है।

2(3)–दिनांक 21.06.1974 को आवंटन का आवेदन प्राप्त किया और उसी दिन नियम 13(2) के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो को विधिनुसार निर्धारित विधिक नोटिस दिये बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:09 IST
Reason: SelfAttested

(राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

ही उपखण्ड अधिकारी नागौर ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता के पक्ष में खसरा नम्बर 705 / 545 वाके लालाप के 10 बीघा 16 बिस्वा के आवंटन का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार उक्त आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व नियम 13(2)(3)(4) का स्पष्ट रुप से उल्लंघन करते हुए विवादित आावंटन आदेश पारित किया है जो अवैध है।

2(4)–उपरोक्त आंवटन के दिन संबंधित ग्राम पंचायत डेहरु के आवंटन कमेटी की कोई बैठक आहूत नहीं हुई न ही आवंटन के पूर्व ग्राम पंचायत डेहरु को सूचित ही किया, इस प्रकार से भी उपरोक्त आवंटन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

2(5)–कमेटी में नियम 13(1)(2)(3) में उल्लेखित जन प्रतिनिधि सदस्यो में से कोई भी उपस्थित नहीं था। जबकि नियमानुसार जनप्रतिनिधियों में से एक सदस्य आवंटन कमेटी में उपस्थित होना आवश्यक है। इस प्रकार से उपरोक्त आवंटन नियमो की अवहेलना करते हुए किया होने से निरस्त होने योग्य है।

2(6)–आवंटन के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 के पिता ने व अप्रार्थीगण ने नियम 14(3) के अनुसार भूमि पर काश्त नहीं की है। अप्रार्थीगण ने आवंटन के पश्चात आज तक 41–42 वर्षों में कभी भी इस भूमि पर काश्त नहीं की है इस प्रकार से अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है इसलिए दी गई खातेदारी अवैध है व किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

2(7)–आवंटन के पश्चात अप्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमि का लगान राज्य सरकार को कभी अदा नहीं किया है इस वजह से भी उन्हें खातेदार गलत दर्ज किया गया है।

2(8)– आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता गनी खां पुत्र करीम खां के नाम से कृषि भूमिहीन कृषक नहीं था। वक्त आवंटन आवंटी ने स्वीकार किया है कि 21 बीघा भूमि ग्राम मुन्दियाड़ का खातेदार था तथा आवंटन से पूर्व इसके अलावा ग्राम लालाप में खसरा नम्बर 545 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार था इसलिए उक्त आवंटी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता ने उक्त तथ्य छिपाते हुए कपट, दुर्व्यपसन व छल पूर्वक आवंटन अपने पक्ष में करवाया है इसलिए इस तरह का कपट, दुर्व्यपसन व छल पूर्वक करवाया गया आवंटन कभी भी खारिज किया जा सकता है। इस आधार पर करवाया गया आवंटन अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(9)– आंवटनसुदा भूमि खसरा नम्बर 705 / 545 वाके मौजा लालाप में स्थित है तथा आवंटी ग्राम मुन्दियार का निवासी है। इसलिए गावं के व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति को भूमि आवंटन नहीं की जा सकती है। इस नियम की पालना नहीं की गई और न ही संबंधित ग्राम के लोगों को नोटिस देकर सूचना दी गई एवं न ही डूडी पिटवायी गई तथा छल, कपटपूर्वक आवंटन किया जाना साबित होने से एक आवंटी सदभावी कृषक एवं भूमिहीन कृषक नहीं होने आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

2(10)–प्रार्थी व अन्य ग्रामवासीया को उक्त आवंटन की कोई जानकारी नहीं रही थी क्योंकि इस आवंटन के आधार पर अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 705 / 545 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा पर अपना कोई हक व अधिकार कभी नहीं जताया न कभी कब्जा करने का प्रयास किया। अभी कुछ दिन पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटनसुदा भूमि पर कब्जा करने आये तो प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासीयो को उक्त कथित आवंटन की जानकारी हुई तथा प्रार्थी व अन्य ग्रामवासियों द्वारा पूछने पर बताया कि उक्त खसरान की भूमि हम अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में आवंटित होई हुई है तत्पश्चात् हमारी खातेदारी में दर्ज हुई है। उक्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर नाप चोप करवाने पर प्रार्थीगण को आवंटन के बारे में बताने पर प्रार्थी द्वारा नागौर आकर आंवटन के बारे में पता किया व नकले प्राप्त की इस प्रकार से प्रार्थी व अन्य ग्रामवासीयो को आवंटन की प्रथम बार जानकारी जनू–2017 में हुई और जानकारी होते ही इस गलत व अवैध आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह आवेदन उक्त प्रावधान के तहत पेश किया है। खसरा नम्बर 705 / 545 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा सरहद मौजा लालाप तहसील मूण्डवा में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता के हक मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक [illegible] इसके आधार पर स्वीकृत किये गये म्यूटेशन को निरस्त फरमाने एवं खसरा नम्बर 7[illegible]545 सरहद मौजा लालाप राजकीय भूमि दर्ज करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस [illegible] में आर.आर.टी. 2019(1) पेज 400–402, आर.आर.टी. 2018–19 सप्लीमेन्ट्री पेज 399–[illegible] आर.आर.टी. 2017(1) पेज 501–503, आर.आर.टी. 2016–2017 सप्लीमेन्ट्री पेज 627–629, आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1296–1299, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 790–795 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:09 IST
Reason: SelfAttested

3—वकील अप्रार्थी श्री कन्हैयालाल सुथार ने वकील प्रार्थी द्वारा किये गये प्रार्थना पत्र के जबाब एवं लिखित बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 705/545 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा गैर मुमकिन मगरा वाके मौजा लालाप जो मूल साबिका खसरा नम्बर 545 रकबा 36 बीघा 08 बिस्वा में एवं खसरा नम्बर 544 रकबा 25 बीघा 4 बिस्वा वाके मौजा लालाप स्थित थे, जो पूर्व में खेराजराम, पेमाराम, रूघराम, भीखाराम आदि के खातेदारी के खेत थे या रहे है, का प्रार्थी का कथन गलत है। यह भी गलत है कि सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारी द्वारा इनकी खातेदारीसुदा भूमि को कम करते हुए नये खसरा नम्बर दौराने पैमाईस 705/545 रकबा 10.16 बीघा गैर मुमकिन मगरा दर्ज कर दिया हो। यह भी गलत है कि खसरा नम्बर 544 में से 3 बीघा भूमि कम कर दी हो तथा खसरा नम्बर 545 में से 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि कम करते हुए उक्त नया खसरा नम्बर अंकित कर दिया हो व राजकीय खाते में दर्ज करते हुए गैर मुमकिन मगरा घोषित कर दिया हो। खसरा नम्बर 705/545 रकबा 10.16 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता गनी खां पुत्र करीम खां छीपा मुसलमान निवासी लालाप के पक्ष में एसडीओ के आदेश कमाक 74/2016 दिनांक 21.06.1974 को नियमन/आवंटन करते हुऐ नामान्तरकरण करने का कथन सही है।

3(1)—वक्त आवंटन यह भूमि सरकारी व खाली एवं आवंटन योग्य किस्म की थी तथा सरकार के द्वारा आवंटन के वक्त नोटिस आम जारी करने पर किसी की आपत्ति नहीं होने पर आवंटित की गई थी। आवंटन के आदेश से लेकर आज तक कब्जा काश्त आवंटी व उसके वारिसान का रहता चला आ रहा है। लगान राज्य सरकार द्वारा वसूली गई तब कि अदा की गई थी, सरकार द्वारा बंद करने के बाद लगान देने की आवश्यकता नहीं रही थी।

3(2)—अप्रार्थीगण के पिता गनी खां के पक्ष में आवंटन हुआ उस वक्त अप्रार्थीगण के परिवार में 1. गनी खां पुत्र करीम खां देहान्त 22 वर्ष पूर्व 2. हफीजा पत्नी गनी खां देहान्त 13 वर्ष पूर्व 3. सदीक पुत्र गनीं खा आयु 74 वर्ष 4. चांद खां पुत्र गनी खां आयु 72 वर्ष 5. जमाल पुत्र गनी खां आयु 70 वर्ष 6. चुका पत्नी सदीक आयु 70 वर्ष 7. जबेदा पत्नी चांद खां आयु 69 वर्ष 8. खेरूना पत्नि जमाल खां आयु 66 वर्ष एवं 9. नियामत पुत्र सदीक आयु 46 वर्ष इस प्रकार कुल 9 सदस्य वक्त आवंटन थे, ऐसी दशा में इनका नोशनल शेयर गनी खां की भूमि में निहित था, प्रत्येक सदस्य का नोशनल शेयर 12 बीघा से कम रहता है, तब तक सभी सदस्य भूमिहीन की श्रेणी में माने जाने योग्य रहे थे। ऐसी दशा में इनकें परिवार में वक्त आवंटन धारित भूमि में नोशनल शेयर 12 बीघा से अधिक गनी खां का नहीं था, इसलिए आवंटन विधि अनुसार सही था।

3(3)—आवंटन में रही कमियों के बारे में उल्लेख किया है, वो गलत है, आवंटन जैर प्रकरण विधि अनुसार सही रहा था। आवंटन की कमियों को खातेदारी अधिकार नहीं मिलने तक ही नियम 14(4) में चेलेन्ज किया जा सकता है। आवंटी के द्वारा सभी शर्तों का पालन आवंटन से लेकर खातेदारी दी गई, तब तक सही ढ़ग से किया था, इसी कारण आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे।

3(4)—आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के पश्चात आवंटन नियम के नियम 14(4) में कार्यवाही करने का कोई क्षेत्राधिकार अदालत वाला में निहित नहीं करता है और आवंटी को खातेदारी अधिकार विधि अनुसार प्रदत्त किये जाने के पश्चात आवंटन अपास्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में कार्यवाही हाजा खारिज होने योग्य है।

3(5)—आवंटी को आवंटन सन् 1974 में हुआ था तथा तब से लेकर आज तक आवंटी व उसके परिवारजन काश्त करते आये हैं, जो गिरदावरी से प्रकट है। आवंटी गनी खां के देहान्त के पश्चात उसके पुत्रों ने बंटवाड़ा भी मौके पर कर लिया व खातेदारी भी अलग अलग बंट माफिक दर्ज करवा ली है।

3(6)—आवंटन हुए करीब 35 वर्ष से अधिक अवधि हो गई। इतनी लम्बी अवधि के पश्चात आवंटन को चेलेन्ज करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं है। महज आपसी रंजिशवश की हुई कार्यवाही है। 30 वर्ष से अधिक पुराने किसी दस्तावेज व कार्यवाही को वैद्य व सही माना जाने की अवधारणा धारा 90 साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान किया हुआ है, ऐसी दशा में कोई भी कार्यवाही गलत है या फर्जी है, ऐसा नहीं माना जाने की अवधार[illegible] जाना वांछित है।

3(7)—प्रार्थी इस प्रकरण में जरूरत से अधिक अपनी [illegible] के वशीभूत होकर कार्यवाही में लिप्त है। जबकि कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) की का[illegible] शुरू किया जाने के पश्चात प्रार्थी का कार्य समाप्त हो जाता है, आगे [illegible] करने का प्रावधान है। प्रार्थी को सक्रिय रूप से भागीदार [illegible]कार नहीं है। प्रार्थी अपनी बेमानी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:09 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण गरीब है, उनको परेशान हैरान करने की नियत से आपसी अदावती के वशीभूत होकर सक्रिय है, जो उसका हक नहीं है।

3(8)—आवंटी को खातेदारी प्रदान करने के पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से वादग्रस्त भूमि उपबंधित है, ऐसी दशा में काश्तकारी अधिनियम से भिन्न कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा आवंटन नियम 14(4) के प्रावधान लागू नहीं होते, ऐसी दशा में कार्यवाही हाजा चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में सिविल कोर्ट केसेज 2015(1) पेज 826–830, आर.आर.डी.14.03.2009 पेज–177–179, आर.आर.टी.2014(2)पेज–759–762, आर. आर.टी. 2015(2) पेज 1331–1337 एवं आर.आर.टी. 2006(1) पेज 531–533 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

4—राजपैरोकार ने वकील अप्रार्थी के जबाब व लिखित बहस से सहमति व्यक्त करते हुए प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

5—वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकुलाय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार नागौर व उपखण्ड अधिकारी नागौर से तलब की गई परन्तु बार–बार लिखे जाने बावजूद मूल पत्रावली प्राप्त नहीं हुई एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पत्रांक–691 दिनांक 30.09.219 उक्त मूल पत्रावली के संबंध में पूर्व कमेटी गठित कर तहसील कार्यालय एवं स्वंय के कार्यालय में तलाश के बावजूद भी नहीं मिलना अवगत कराये जाने पर आदेशिका दिनांक 03.10.2019 के अनुसार प्रकरण में बहस अंतिम सुनी जाने का निर्णय लिया गया।

5(1)—हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता गनी खां को ग्राम लालाप के खसरा नम्बर 705 / 545 रकबा 10.16 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 21.06.1974 से नियमन किया गया था, उक्त तथ्य पक्षकारान के मध्य निर्विवादित है।

5(2)—वकील प्रार्थी का कथन कि खसरा नम्बर 705 / 545 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा गैर मुमकिन मगरा वाके मौजा लालाप जो मूल साबिका खसरा नम्बर 545 रकबा 36 बीघा 8 बिस्वा एवं मूल साबिका खसरा नम्बर 544 रकबा 25 बीघा 04 बिस्वा वाके मौजा लालाप स्थित थे जो पूर्व में खेराजराम, पेमाराम, रुघाराम, भीखाराम इत्यादि के खातेदारी के खेताय थे व रहे तथा सेटलमेंट अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा इनकी खातेदारीसुदा भूमि को कम करते हुए इनके द्वारा नये खसरा नम्बर दौराने सेटलमेंट 705 / 545 रकबा 10.16 बीघा गैर मुमकिन मगरा दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 544 में से 3 बीघा भूमि कम कर दी गई तथा खसरा नम्बर 545 में से 7. 16 बीघा भूमि कुल 10.16 बीघा भूमि कम करते हुए उक्त नया खसरा अंकित कर दिया व राजकीय खाते में दर्ज करते हुए गैर मुमकिन मगरा घोषित कर दिया। वकील प्रार्थी के उक्त कथन को वकील अप्रार्थी द्वारा पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथनों को साबित करने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटलमेन्ट यदि खातेदारी भूमि को कम करते हुए नये खसरा नम्बर दर्ज करने को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है तो उक्त संबंध में प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में रेकर्ड दुरूस्ती के संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार वकील प्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

5(3)—प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण 1 से 3 एवं इनके पिता गनी खां का कब्जा काश्त रहा है। वकील प्रार्थी का कथन की वक्त आवंटन आंवटी 21 बीघा भूमि ग्राम मुन्दियाड व ग्राम लालाप में खसरा नम्बर 545 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार था, इसलिए उक्त आवंटी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी ग्राम लालाप तहसील मूण्डवा संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत जिसके अनुसार चांद मोहम्मद पुत्र गनी मोहम्मद कौम छींपा निवासी मुंदियाड ग्राम लालाप के खसरा नम्बर 545 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार दर्ज है। उक्त जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम लालाप की उक्त भूमि का खातेदार के रूप में आवंटी गनी खां के पिता का नाम की खातेदारी दर्ज है तथा उक्त जमाबन्दी भी प्रकरण में आवंटी गनी खां को आवंटन के बाद की है। वक्त आवंटन आवंटी 21 बीघा भूमि ग्राम मुन्दियाड में होने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वकील अप्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थीगण के पिता गनी खां के पक्ष में आवंटन हुआ उस वक्त अप्रार्थीगण के परिवार में कुल 9 सदस्य थे, ऐसी दशा में वक्त आवंटन धारित भूमि में नोशनल शेयर 12 बीघा से अधिक गनी खां का नहीं था। उक्त कथन का खण्डन भी वकील प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:12:09 IST
Reason: SelfAttested

A5
5P

द्वारा अपनी लिखित बहस में नहीं किया है। इस प्रकार आवंटी गनी खां भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आने का वकील प्रार्थी का कथन युक्तियुक्त साक्ष्य से परे है, जिस स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

5(4)—वकील प्रार्थी का कथन कि सलाहकार समिति के सदस्यों को नोटिस नहीं दिया, आवंटन के दिन संबंधित ग्राम पंचायत डेहरू के आवंटन कमेटी की बैठक आहूत नहीं हुई, न ही आवंटन के पूर्व ग्राम पंचायत डेहरू को सूचित किया, जन प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, आवंटन कमेटी में एक जनप्रतिनिधि का उपस्थित होना आवश्यक है। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि का लगान अदा नहीं किया इत्यादी कथनों के आधार पर भी आवंटन खारिज किये जाने का निवेदन किया। जबकि वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सभी कथनों को अस्वीकार किया है। इसके अलावा वकील प्रार्थी ने अपने उक्त कथनों को साबित करने के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। हस्तगत प्रकरण में आवंटन दिनांक 21.06.1974 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता गनीं खा को किया गया था और प्रार्थी द्वारा करीब 43 वर्ष पश्चात उक्त आवंटन को निरस्त हेतु यह प्रकरण में प्रस्तुत किया है। प्रथमतः उपर्युक्तानुसार तकनीकी कमियां जो प्रार्थी द्वारा बताई गई है, वह पूर्णतया साबित नहीं है फिर भी अब 43 वर्ष पश्चात ऐसी तकनीकी कमियों के आधार पर आवंटन को निरस्त करना युक्तियुक्त नहीं है। उक्त आवंटन पश्चात खातेदारी अधिकार की प्राप्त हो चुके है ऐसे में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

6—अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर आधारित नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7—निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:12:09 IST
Reason: SelfAttested